न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) कपासन, जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी मणीलाल तीरगर (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या/324/2025

दायर दिनांक 06.08.2025

उनवान

1. अजीज मोहम्मद पिता फतहमोहम्मद मुसलमान आयु वयस्क निवासी धमाणा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
2. मोहम्मद शरीफ पिता फतहमोहम्मद मुसलमान आयु वयस्क निवासी धमाणा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
3. गुलाब नमी पिता फतहमोहम्मद मुसलमान आयु वयस्क निवासी धमाणा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
4. हलीमा पिता फतहमोहम्मद पति शफी मोहम्मद मुसलमान निवासी हाल सांगानेर जिला भीलवाडा।

– वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

–प्रतिवादीगण

–: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 आर.टी.एक्ट :–

निर्णय दिनांकः 30.04.2026

–:निर्णयः–

वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88–89 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत् निम्न निवेदन के साथ पेश किया कि मौजा धमाणा के हल्के बैरूनी में आराजी नम्बर 1709/4 मेरे पिता के नाम पर दर्ज थी जो 5 बीघा होकर वादीगण के नाम पर दर्ज हुई और हमारा कब्जा है धमाना की आ0नं0 1709/4 हमारे नाम पर दर्ज थी। किन्तु वर्तमान में बिलानाम सरकार दर्ज कर दी जिससे वादीगण ऋण लेने में असमर्थ है। वर्तमान आ.नं. 912, 913, 914, 915, 916, 1161 है जिसमें आ.चा. नं0 913 है। जो वर्तमान में बिलानाम कृषि योग्य है।

यह कि वादीगण ने अपनी आराजी की नकल ली तो वादीगण को यह जानकारी हुई कि उनकी आराजी वर्तमान में बिलानाम दर्ज है आराजीयात हमारे नाम पर पुनः दर्ज की जावें। सेटलमेन्ट के दौरान आराजी बिलानाम दर्ज हो गई।

यह कि दिनांक 4/4/2018 को पटवारी से नकल प्राप्त की तो बिलानाम होने की जानकारी प्राप्त हुई जिससे वादकारण दिनांक 4/4/2018 से एवं तत्पश्चात निरन्तर पैदा हो रहा है।

अतः निवेदन है कि मौजा धमाणा की आ. नं. 912, 913, 914, 915, 916, 1161 वादीगण के नाम पर दर्ज किये जाने की डिक्री बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादी सादीर फरमाई जावें। हर्जा खर्चा वकील मेहन्ताना दिलाया जावें। अन्य दाद मुफिद वादीगण के हो दिलाया जावें।

हमने वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादी संख्या 1 पेरोकार सरकार द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि जमाबन्दी संवंत् 2039–42 के खाता संख्या 952 पर गत आराजी नम्बर 1709/4 रकबा 5 बिघा भूमि दर्ज वादीगण के पिता श्री फतहमोहम्मद के नाम पर थी, लेकिन वादीगण के अंकन अनुसार इस भूमि को बिलानाम कर दी गई है व वाद में आराजी नम्बर 912, 913, 914, 915, 916 व 1161 तलवीन नम्बर बनना व काबिज होना अंकित किया है जबकि मिलान क्षेत्रफल अनुसार उक्त

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक), कपासन

आराजी नम्बर 912 से 916 तक गत आराजी नम्बर 1710 एवं 1711 से बने है व आराजी संख्या 1161 गत आराजी नम्बर 87/105 से बने है। वाद पत्र अनुसार आराजी नम्बर 912 से 916 व 1161 गत आराजी नम्बर 1709/4 से नही बने है। अतः वादीगण के नाम पुनः दर्ज नहीं किया जा सकता है। व अन्त में निवेदन किया कि वादी द्वारा चाही गयी दाद प्रदान नहीं की जा सकती है, अतः वादपत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया। तत्पश्चात् निम्नानुसार तनकीयात कायम की गई जो निम्नानुसार है–

1. आया पाद पत्र के कॉलम संख्या 1 में वर्णित साबिक आराजी संख्या 1709/4 वादी के पिता के नाम दर्ज रेकार्ड थी जिस पर कब्जा है। हाल में आराजी सं0 912, 913, 914, 915, 916, 1161 जो बिलानाम दर्ज रेकार्ड है जो वादीगण खातेदारी अधिकारी प्राप्त करने का अधिकारी है।

–जिम्मेवादीगण

2. आराजी संख्या 912, 913, 914, 915, 916 साबिक आराजी नं0 1710, 1711 से बने है व आ0सं0 1161 साबिक आराजी संख्या 87/105 से बने है जिस पर वादीगण खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है–

–जिम्मेप्रतिवादी

3. दादरसी

साक्ष्यवादी में अजीज मोहम्मद व छोगालाल का शपथ पत्र प्रस्तुत। दस्तावेज प्रदर्श अंकन कराये जो प्रदर्श–1 से लगायत प्रदर्श–5 है। साक्ष्यप्रतिवादी प्रस्तुत नहीं किये जाने से पूर्व में दिनांक 06.11.2024 को बन्द की गई। बहस उभयपक्ष सुनी गई। हमने पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। तनकीवार निर्णय निम्नानुसार किया जाता है।

<u>तनकी संख्या 01</u> :–

आया वाद पत्र के कॉलम संख्या 1 में वर्णित साबिक आराजी संख्या 1709/4 वादी के पिता के नाम दर्ज रेकार्ड थी जिस पर कब्जा है। हाल में आराजी सं0 912, 913, 914, 915, 916, 1161 जो बिलानाम दर्ज रेकार्ड है जो वादीगण खातेदारी अधिकारी प्राप्त करने का अधिकारी है। इस तनकी को साबित कराये जाने का जिम्मा वादीगण का था। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से साबिक आराजी संख्या 1709/4 से हाल आराजी संख्या 912, 913, 914, 915, 916, 1161 बनना सिद्ध नही होता है, वादी द्वारा इन्ही हाल आराजी नम्बरान की खातेदारी चाही गई है, परन्तु वादीगण दस्तावेजी साक्ष्य से उक्त तनकी को सिद्ध कराने में असफल रहे। अतः उक्त तनकी वादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है। उक्त तनकी वादीगण के विरूद्ध निर्णित होने से शेष तनकी को निर्णित किये जाने की आवश्यकता नही है।

वादीगण द्वारा तनकी संख्या 1 सिद्ध कराये जाने में असफल रहने से वादीगण अपना वादपत्र सिद्ध कराने में असफल रहे। अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर0टी0एक्ट0 सारहीन होने से इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(मणीलाल तीरमर)
सहायक कलक्टर
(फास्ट–ट्रेक) कपासन